संख्या-8/2019/1143/62-2-2019-2/3(22)/2018

प्रेषक,

जुहैर बिन सगीर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संबंधित अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई सम्बन्धित प्रखण्ड।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 जून , 2019

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 (टी0एस0पी0) के अधीन लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग) (जिला योजना) में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र संख्या-142/ल0सिं0/बजट-SCSP/TSP/2019-20, दिनांक 10.06.2019 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनतर्गत अनुदान संख्या-81 (टी0एस0पी0) के अधीन संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना (जिला योजना) में प्राविधानित धनराशि रू0-30.00 लाख (रूपया तीस लाख मात्र) को संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत नि:शुल्क बोरिंग योजना में टी0एस0पी0 के कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराये जाने पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई/स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(3) अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(5) नि:शुल्क बोरिंग योजना केवल उन्ही क्षेत्रों में लागू की जाये, जहाँ भू-गर्भ जल दोहन की स्थिति संतोषजनक हों। इस योजना में भू-गर्भ जल समस्या वाले क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से विभाग द्वारा प्रतिबन्धित किया जायेगा।

(6) प्रत्येक बोरिंग के साथ ही कम से कम 25 पेड़, जो किसान स्थानीय स्तर पर अपने लिए उपयोगी समझे, लगाये जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(7) प्रश्नगत योजना का क्रियान्वयन शासनादेश सं0-3942/62-2-2012-2/2(10)/2012, दिनांक 20-11-2012 द्वारा निर्गत गाईड लाइन के अनुसार किया जायेगा।

(8) जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण होने के उपरान्त जारी की गयी स्वीकृतियों को आवंटित परिव्यय में समायोजित करते हुए यथावश्यकता संबंधित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जाये।

(9) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चिचत किया जाय।

(10) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

1-	मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-	प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण	15.10.2019 तक
3-	व्ययाधिक्य तथा बचत का अंतिम विवरण	15.12.2019 तक
4-	वर्ष 2019-20 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15.02.2020 तक
5-	आवंटन का समर्पण	15.03.2020 तक

नोट:- दिनांक 15.03.2020 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 (टी0एस0पी0) के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-04-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(जुहैर बिन सगीर)
विशेष सचिव।

संख्या-08/2019/1143(1)/62-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
8- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
15- कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
16- वित्त एवं लेखाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-08/2019/1143/62-2-2019-2/3(22)/2018, दिनांक 27 जून, 2019 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान सं0-81 के अधीन लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-04-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्नपद हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

(लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	वर्ष 2018-19 में नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	बजट प्राविधान	प्रस्तावित अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	खीरी	34.40	24.20	24.20
2	गाजीपुर	7.60	5.44	5.44
3	मिर्जापुर	0.40	0.36	0.36
	योग-	42.40	30.00	30.00

(रू0 तीस लाख मात्र)

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।